भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2621
5 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

केरल में मछुआरों के लिए आजीविका संकट

2621. श्री के. सुधाकरन:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मछली पकड़ने में कमी और केरल तट पर प्रस्तावित गहरे समुद्र में रेत खनन परियोजनाओं के कारण केरल के पारंपरिक मछुआरों के समक्ष आने वाले गंभीर आजीविका संकट से अवगत है,
(ख) ऐसी खनन गतिविधियों के पारिस्थितिक और आर्थिक प्रभाव के संबंध में मछुआरा समुदाय और केरल राज्य सरकार द्वारा उठाई गई समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ग) क्या सरकार द्वारा परियोजना को स्वीकृति देने से पहले कोई व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क) से (ग): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति द्वारा मात्स्यिकी संसाधनों की क्षमता का आकलन नियमित अंतराल पर किया जाता है ताकि भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन (EEZ) में मत्स्य स्टॉक की स्थिति का पता लगाया जा सके और मात्स्यिकी संसाधनों की संभावित प्राप्य मात्रा की पुष्टि की जा सके। मात्स्यिकी संसाधनों की संभावित प्राप्य मात्रा की पुष्टि संबंधी विशेषज्ञ समिति की नवीनतम रिपोर्ट (2018) के अनुसार, भारतीय EEZ में समुद्री मात्स्यिकी संसाधान (मरीन फिशरी रीसोरसेस) 5.31 मिलियन टन अनुमानित है। इस क्षमता की तुलना में विगत 5 वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान समुद्री मात्स्यिकी संसाधान का औसत उपयोग लगभग 4.0 मिलियन टन था, जो 5.31 मिलियन टन की वार्षिक संभावित प्राप्य मात्रा से कम है। भारत का समग्र समुद्री मत्स्य उत्पादन 2022-23 में 4.43 मिलियन टन से बढ़कर 2023-24 में 4.49 मिलियन टन हो गया। हालाँकि, केरल तट से समुद्री मत्स्य उत्पादन 2022-23 में 0.69 मिलियन टन से घटकर 2023-24 में 0.58 मिलियन टन रह गया है। भारत सरकार ने केरल राज्य सरकार के साथ मिलकर, "प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)" के तहत, फिश स्टॉक में सुधार और समुद्री समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र (मरीन इकोसिस्टम) को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे आरटीफ़िशियल रीफ़्स की स्थापना, सी रैंचिंग को बढ़ावा देना, सी वीड कल्टीवेशन सहित मेरीकल्चर को अपनाना आदि । इसके अतिरिक्त, स्थाई (सस्टेनेबल) मत्स्यन सुनिश्चित करने के लिए, कई उपाय किए गए हैं जिनमें शामिल हैं (i) भारतीय EEZ में फिशिंग पर 61 दिनों का एक समान प्रतिबंध (यूनिफॉर्म बैन) लागू करना, (ii) भारतीय EEZ में विनाशकारी मत्स्यन तरीकों पर प्रतिबंध लगाना जैसे पेयर्ड बॉटम ट्रॉलिंग या बुल ट्रॉलिंग और मछली पकड़ने के लिए आरटीफ़िशियल और

LED लाइटों का उपयोग, (iii) समुद्री संरक्षित क्षेत्रों [मरीन प्रोटेक्टेड एरियास (MPAs)] की घोषणा और लुप्तप्राय, संकटग्रस्त और संरक्षित प्रजातियों की सुरक्षा, (iv) ट्रॉल जाल में टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस (TEDs) की स्थापना, मछली पकड़ने के उपकरण और जाल के आकार के नियम, मछली का न्यूनतम कानूनी आकार [मिनिमम लीगल साइज (MLS)], स्थानिक और सामयिक प्रतिबंध, तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मत्स्यन क्षेत्रों का निर्धारण, आदि।

खान मंत्रालय, भारत सरकार ने अपतट क्षेत्र खनिज और विकास अधिनियम, 2002 को अधिनियमित किया, जो 2010 में लागू हुआ । संयुक्त लाईसेंस हासिल करने वाले सफल बोलीदाता से अपेक्षित है कि वह अपतट क्षेत्र खनिज संसाधनों की विद्यमानता नियम, 2024 का अनुपालन करते हुए अपतट क्षेत्र में अन्वेषण की गतिविधि करे। अन्वेषण में यह भी आवश्यक है कि प्रारंभिक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन [एनवायोर्नमेन्ट इम्पैक्ट एसेस्स्मेंट (EIA)] अध्ययन करवाया जाए। तदुपरान्त, संयुक्त लाइसेंस होल्डर को उत्पादन लीज़ प्रदान करने पर सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है।

इसके अलावा, अपतट क्षेत्र खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 2024 के प्रावधानों के अनुसार, उत्पादन योजना के अनुसार ही कोई भी उत्पादन कार्य किया जाएगा। उत्पादन योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, आधारभूत जानकारी, प्रभाव आकलन और शमन उपायों को दर्शाने वाली पर्यावरण प्रबंधन योजना भी शामिल है।

खान मंत्रालय ने सूचित किया है कि मछुआरों की आजीविका की रक्षा और उनके हितों की सुरक्षा के लिए, उत्पादन योजना और एनवायोर्नमेन्टल मेनेजमेंट प्लांन (EMP) की तैयारी के दौरान मछुआरों और स्थानीय समुदायों की चिंताओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा और नियमों के तहत प्रत्येक पट्टेदार को अन्वेषण या उत्पादन कार्य शुरू करने से पहले उक्त योजनाओं का अनुपालन करना अनिवार्य है।

इसके अलावा, अपतट क्षेत्र खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 16क में एक गैर-लाभकारी स्वायत्त निकाय के रूप में अपतट क्षेत्र खनिज ट्रस्ट की स्थापना का प्रावधान है। तदनुसार, दिनांक 09.08.2024 के S.O. 3246 (E) के तहत अपतट क्षेत्र खनिज ट्रस्ट की स्थापना की गई है। तटीय राज्यों को ट्रस्ट के शासी निकाय और कार्यकारी समिति का सदस्य बनाया गया है। ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग, अन्य बातों के साथ-साथ, अपतट क्षेत्रों से संबंधित अनुसंधान, प्रशासनिक गतिविधियों, अध्ययनों और संबंधित व्यय के लिए; परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न पारिस्थितिक प्रभावों को कम करने के लिए; अपतटीय क्षेत्रों में आपदा राहत के लिए; और अन्वेषण एवं उत्पादन कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों की सहायता के लिए किया जाएगा।

*****